न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

निष्पादन वाद संख्या 32/2024

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लि. प्रति धर्मपाल और अन्य

दिनांकः 03-06-2026

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थना पत्र 18ग निर्णीतऋणी धमर्पाल द्वारा अन्तर्गत आदेश 21 नियम 26 व धारा 151 सी.पी.सी. दिया गया। प्रार्थी का कथन है कि उसने विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-05-2023 के विरूद्ध कामर्शियल कोर्ट गौतमबुद्धनगर में धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 (जिसे आगे 'माध्यस्थम अधिनियम' कहा जायेगा) के अन्तर्गत वाद संख्या 28/2023 दाखिल किया है। डिक्रीदार धारा 34 माध्यस्थम अधिनियम की कार्यवाही में विलम्ब कर रहे है। अतः इस इजराय की कार्यवाही को वाद संख्या 28/2023 धर्मपाल बनाम शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक के लंबित रहने के दौरान स्थगित किया जाये।

डिक्रीदार की ओर से आपत्ति की गई और कहा गया कि जिस प्रावधान के अन्तर्गत निर्णीतऋणी ने प्रार्थना पत्र दिया है वह पोषणीय नहीं है। इनको स्थगन आदेश उस न्यायालय से लाना चाहिए जहाँ पर धारा 34 माध्यस्थम अधिनियम लंबित है और उस न्यायालय से कोई भी आदेश पत्रावली पर नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

मैंने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निर्णीतऋणी के कथनानुसार उसने अवार्ड के विरूदध गौतमबुद्धनगर में धारा 34 माध्यस्थम अधिनियम के विरूद्ध आपत्ति दाखिल की है जिसकी सुनवाई लंबित है और सुनवाई तक के लिए इस निष्पादन कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाये।

निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय मेघालय की विधि व्यवस्था मेसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. बनाम नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर दिनांकित 05-07-2023 प्रस्तुत की गई है। मैंने इस विधि व्यवस्था का अवलोकन किया।

इस विधि व्यवस्था में धारा 34 माध्यस्थम अधिनियम का निस्तारण हो जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय से धारा 37 माध्यस्थम अधिनियम की अपील भी निस्तारित कर दी गई थी। तब पक्षकार ने माननीय उच्चतम न्याायलय में जाने तक के लिए निष्पादन कार्यवाही को स्थगित करने का प्रार्थना पत्र दिया था और ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 26 व धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने निष्पादन कार्यवाहियों में आदेश 21 नियम 26 सी.पी.सी. की कार्यवाही को सही माना था, परन्तु यहां स्थिति दूसरी है। वर्तमान में धारा 34 माध्यस्थम अधिनियम का प्रार्थना पत्र गौतमबुद्धनगर में

लंबित है।

धारा 36(2) माध्यस्थम अधिनियम ये उपबंधित करती है किः-

"(2) जहाँ माध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन न्यायालय में धारा 34 के अधीन फाइल किया गया है, वहाँ ऐसे किसी आवेदन के फाइल किये जाने से ही वह पंचाट तब तक अप्रवर्तनीय नहीं हो जायेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए किये गये किसी पृथक आवेदन पर उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उक्त माध्यस्थम पंचाट के प्रवर्तन पर कोई रोकादेश नहीं दे देता है।"

इस प्रावधान से स्पष्ट है कि जिस न्यायालय में धारा 34 माध्यस्थम अधिनियम लंबित है उस न्यायालय को ये अधिकार है कि वो अवार्ड के प्रवर्तन को रोकने के लिए स्थगन आदेश दे सकती है। ऐसे में इस परिस्थिति में आदेश 21 नियम 26 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में माध्यस्थम अधिनियम के अन्तर्गत इसका उपचार विद्यमान है और निर्णीतऋणी को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना चाहिए था। तदनुसार प्रार्थना पत्र 18ग पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी धर्मपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18ग निरस्त किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 24-06-2026 को पेश हो।

दिनाँक 03-06-2026

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1, मेरठ।

Digitally signed by Kshitij Kumar Srivastava
Date: 2026.06.03 16:07:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court